दिनांक– 16.12.2022 को श्री जय सिंह, भा०प्र०से०, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में, विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के लिए प्रयुक्त किए जा रहे सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रचालन में आ रही कठिनाईयों एवं IT Cell संबंधित विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा संधारित।

दिनांक– 16.12.2022 को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के सभा कक्ष में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप की अध्यक्षता में सहायक निदेशक, श्री अनिल कुमार सिंह एवं श्री विनोद कुमार पंकज की उपस्थिति में निदेशालय के IT Cell से सम्बन्धित सभी कर्मियों, सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधि, जिलों के नोडल पदाधिकारी तथा निदेशालय में प्रतिनियुक्त N.I.C के प्रोग्रामर के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य से सम्बन्धित प्रत्येक सॉफ्टवेयर तथा IT Cell से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं आदि की विस्तृत समीक्षा की गई एवं विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत निदेश दिए गए जो निम्नवत हैं–

1. **<u>भू–नक्शा सॉफ्टवेयरः–</u>** सर्वप्रथम विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत मानचित्रों को संधारित एवं अद्यतीकरण के लिए N.I.C द्वारा बनाए गए भू–नक्शा सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में आ रही कठिनाईयों एवं उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिवेदित किया गया कि भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में पूर्व से विगत सर्वेक्षण के पाँच प्रकार के मानचित्रों– कैडेस्ट्रल सर्वे मानचित्र, रिविजनवल सर्वे मानचित्र, चकबन्दी मानचित्र, कैडेस्ट्रल म्युनिसिपल मानचित्र तथा रिविजनल म्युनिसिपल मानचित्र अपलोड् करने की व्यवस्था की गई थी। इसके आलोक में वर्त्तमान समय में भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में मात्र कैडेस्ट्रल रिविजनल एवं चकबन्दी के मानचित्रों को अपलोड किया गया है।

निदेशित किया गया कि विगत सर्वेक्षण के सभी पाँच प्रकार के मानचित्रों को भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के लिए उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को आवश्यक निदेश दिए जाए एवं इस कार्य में I.T Cell के प्रोग्रामर, श्री अभितोष कुमार द्वारा बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग के सभी प्रकार का तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाए। इस कार्य को आगामी एक माह में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में विगत सर्वेक्षण के मानचित्रों के साथ–साथ वर्त्तमान में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया के पाँच प्रक्रमों प्रारंभिक मानचित्र, ग्राम–सीमा सत्यापित मानचित्र, खानापुरी पूर्ण मानचित्र, प्रारूप मानचित्र एवं अंतिम मानचित्र को अपलोड किए जाने का प्रावधान है। इन पाँचों प्रक्रमों के मानचित्रों को हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा प्रक्रमवार/ग्रामवार पूर्ण किए गए कार्य के अनुसार संधारित किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में बैठक में भू–नक्शा सॉफ्टवेयर के दिनांक– 16.12.2022 के प्रतिवेदन में भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में इन पाँचों प्रक्रमों के मानचित्र संधारण की स्थिति निम्नवत् पाई गई–

प्रारंभिक मानचित्र–1458 ग्राम–सीमा सत्यापित मानचित्र– 53
खानापुरी पूर्ण मानचित्र– 750 प्रारूप मानचित्र–314
अंतिम मानचित्र– 62

उक्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा प्रक्रमवार प्रगति के अनुरूप भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में मानचित्रों को संधारित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भू–सर्वे ट्रेकर के अनुसार दिनांक– 16.12.2022 तक 636 राजस्व ग्रामों का प्रारूप मानचित्र एवं 196 ग्रामों का अंतिम मानचित्र प्रकाशित है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि GISC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा सबसे अधिक अर्थात् 377 खानापुरी मानचित्र, 154 प्रारूप मानचित्र, और 10 अंतिम मानचित्रों को भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में अपलोड किया गया है।

निदेशित किया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा सर्वप्रथम अंतिम रूप से प्रकाशित मानचित्रों तथा प्रारूप मानचित्र को भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में संधारित किया जाए एवं इस कार्य को अगले 15 दिनों के अन्दर पूर्ण कर लिया जाए। इसके उपरान्त एजेंसियों द्वारा खानापुरी, किस्तवार एवं ग्राम–सीमा सत्यापित मानचित्रों को अगले 03 महीनों के अन्दर भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में संधारित करना सुनिश्चित किया जाए। यह भी निदेशित किया गया कि प्रपत्र.–20 में अंतिम रूप से मानचित्र का प्रकाशन करने, मानचित्रों में डिजिटल साइन करने एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए प्रत्येक जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारी का जिलावार Login बनाकर एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिवेदित किया गया कि भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में प्रपत्र–6 में संधारित खेसरावार भौतिक विवरणी के अनुसार Layer को संधारित किया गया है एवं निर्धारित किए गए 177 प्रकार के Legend के अनुसार कार्रवाई की गई है। बैठक में पृच्छा की गई कि अंतिम रूप से प्रकाशित मानचित्रों में बनाए गए विभिन्न प्रकार के Layer के Filteration की जाँच की गई है अथवा नहीं मानचित्रों में अलग–अलग Legend को अलग रंग में दिखाने की क्या व्यवस्था की गई है। समीक्षोपरान्त एवं विमर्शोपरांत यह निर्णय लिया गया कि सभी Legend को एक साथ मानचित्र में प्रदर्शित किया जाना संभव नहीं है। अतः एक साथ 10 Legend को अलग–अलग रंग में दिखाने का प्रावधान किया जाए। इस कार्य को दो सप्ताह के अन्दर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा बताया गया कि खानापुरी पश्चात् एल0पी0एम0 जेनरेट होने में काफी समय लगभग 2–3 दिन लग रहा है। इस परिस्थिति में बड़े राजस्व ग्रामों का एल0पी0एम0 जेनरेट करने में बहुत समय लग जाएगा। साथ ही कुछ छोटे–छोटे ग्रामों एवं कुछ प्लॉटों का जेनरेट भी निर्गत नहीं हो पा रहा है। G.I.S.C, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा बताया गया कि प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र प्रकाशन के पूर्व प्राप्त दावा आपत्तियों की संख्या और प्रारूप मानचित्र में किए गए सुधार की संख्या में काफी अन्तर होता है अर्थात् प्राप्त आपत्तियों की तुलना में सुधार की संख्या ज्यादा होती है।

निदेशित किया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से Sample Data लेकर इसकी जाँच करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाए। इस सम्बन्ध में बन्दोबस्त पदाधिकारी, बांका से प्राप्त सुझाव के आलोक में बन्दोबस्त पदाधिकारियों को प्रारूप प्रकाशन के पूर्व बिना OTP प्राप्त किए प्रारूप मानचित्र एवं अधिकार अभिलेख को देखने के लिए प्रावधान किए जाने का भी निदेश दिया गया।

निदेशित किया गया कि जिलावार डाटाबेस तैयार करते हुए प्रत्येक एजेंसी से इस तरह की समस्याओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर उन्हें स्पष्ट रूप से चिन्हित करते हुए N.I.C के प्रोग्रामर द्वारा एक सप्ताह के अन्दर इसका समाधान कर दिया जाए।

2. <u>भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयरः</u>– प्रतिवेदित किया गया कि वर्त्तमान में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली द्वारा निर्धारित प्रपत्र– 1 से 22 के अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता को देखते हुए प्रपत्र–23 एवं 24 भी संधारित किया जा रहा है। I.T Cell के प्रोग्रामर से पृच्छा की गई कि प्रपत्र–20 के बाद सुनवाई कर पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र में सुधार की प्रक्रिया क्या होगी एवं भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में इसे किस प्रकार संधारित किया जाएगा। इसी तरह प्रपत्र–20 के बाद निर्धारित अवधि में सुनवाई कर तैयार किए गए अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम की धारा–11(3) के आलोक में अंचल कार्यालय को किस प्रकार उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी पृच्छा की गई कि प्रपत्र–20 के बाद किये गये संशोधन पश्चात् तैयार किए गए अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का नाम क्या होगा एवं भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में इसे अलग से मानचित्र को किस प्रकार संधारित किया जाएगा।

निदेशित किया गया कि प्रपत्र–20 में अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन उपरांत किए जाने वाले सभी कार्यों को दिनांक–23.12.2022 तक पूर्ण करते हुए दिनांक–26.12.2022 से पहले लगभग वैसे 50 राजस्व ग्रामों, जिनके प्रपत्र–20 (अंतिम अधिकार अभिलेख) का प्रकाशन 180 दिन पूर्व किया जा चुका है, के रैयतों को वितरित किए जाने वाले नागरिक अधिकार अभिलेख के प्रारूप को अंतिम रूप देते हुए, इनके रैयतवार वितरण को दिसंबर, 2022 के अंतिम सप्ताह/जनवरी, 2023 के प्रथम सप्ताह में करने का प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए। यह भी निदेशित किया गया कि अंतिम अधिकार अभिलेख में संधारित की गई विविध प्रकार की जानकारियों यथा सरकारी भूमि का रकबा, विभागवार भूमि का रकबा, ऑनलाईन के माध्यम से उपलब्ध रैयतों की स्वघोषणा की संख्या इत्यादि के लिए बनाये जाने वाले डेशबोर्ड को 10 दिनों के अंदर में पूर्ण कर लिया जाए एवं डेशबोर्ड के माध्यम से जिला, अंचल एवं ग्राम स्तर की जानकारी प्राप्त करने का प्रावधान किया जाय। इस संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि वर्त्तमान में बनाये गये डेशबोर्ड से सरकारी भूमि का रकबा प्राप्त किया जा सकता है।

3. <u>R2R सॉफ्टवेयरः</u>– प्रतिवेदित किया गया कि R2R सॉफ्टवेयर में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के विभिन्न पटलों द्वारा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई के आधार पर हटाये गये विशेष सर्वेक्षण कर्मियों, त्याग–पत्र देने वाले कर्मियों इत्यादि के आधार पर R2R सॉफ्टवेयर को अद्यतन करने की कोई निश्चित निर्धारित प्रक्रिया वर्त्तमान में नहीं है, जिस कारण कार्यरत कर्मियों एवं R2R सॉफ्टवेयर में संधारित कर्मियों की वास्तविक संख्या में समानता नहीं रह जाती है, साथ ही R2R सॉफ्टवेयर के होम पेज में संधारित की जाने वाली विभिन्न जानकारियों की समीक्षा कर उनमें बदलाव किया जाना आवश्यक है। यह भी बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सेवा–पुस्त के लिए निर्धारित प्रपत्र में R2R सॉफ्टवेयर में कर्मियों की सेवा–पुस्त संधारित करने के लिए एकरूपता बनाये रखने की आवश्यकता है एवं कर्मियों के

उंगलियों के निशान को सॉफ्टवेयर में संधारित किये जाने की आवश्यकता है। यह प्रतिवेदित किया गया कि जिला स्तर पर बन्दोबस्त पदाधिकारियों के स्तर से बड़ी संख्या में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को एक शिविर/गांव से बदल कर दूसरे शिविर/गांव में टैग किया जा रहा है, जिस कारण विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के कार्य की गति प्रभावित हो रही है। I.T Cell के टीम लीड, श्री अंजनी कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की ऑनलाईन उपस्थिति के लिए बनाए गए नए एप को मुंगेर जिले में प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ करने के लिए Go Live कर दिया गया है एवं कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण दिनांक–16.12.2022 को मात्र 10 कर्मियों द्वारा उपस्थिति संधारित की गई है।

निदेशित किया गया कि प्रत्येक शुक्रवार को I.T Cell द्वारा प्रशाखा पदाधिकारी के सहयोग से विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की स्थापना एवं कार्रवाई से सम्बन्धित विभिन्न पटलों से जानकारी प्रापत कर R2R सॉफ्टवेयर को अद्यतन किया जाए तथा होमपेज पर प्रदर्शित होने वाली सूचनाओं की समीक्षा कर प्रशाखा पदाधिकारी से विमर्श कर अनुपयोगी सूचनाओं को हटाकर वर्त्तमान स्थिति के अनुसार अद्यतन कर दिया जाए। साथ ही R2R सॉफ्टवेयर में अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मियों के 60 वर्ष पूर्ण होने पर उनके नाम को स्वतः Disable करने की व्यवस्था संधारित की जाए। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सेवा–पुस्त को R2R सॉफ्टवेयर में एक Uniform तरीके से संधारण करने की व्यवस्था करते हुए किसी एक जिले में प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया जाए और जिले के लिए User ID एवं Password तैयार कर बन्दोबस्त पदाधिकारियों की आगामी समीक्षात्मक बैठक में विमर्श कर निदेश के साथ सम्बन्धित की आगामी समीक्षात्मक बैठक में विमर्श कर निदेश के साथ सम्बन्धित जिले को पत्र उपलब्ध करा दिया जाए। जिला स्तर पर बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की टैगिंग के सम्बन्ध में सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश देते हुए पत्र दिया जाए। टीम लीड, श्री अंजनी कुमार मिश्रा को निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की ऑनलाईन उपस्थिति के लिए बनाए गए नए एप के परिचालन में आ रही सभी कठिनाईयों का समाधान अतिशीघ्र करते हुए आगामी सप्ताह से अन्य दो और जिलों में लागू किया जाए।

4. **MIS सॉफ्टवेयरः**– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षा के लिए तैयार किए गए MIS सॉफ्टवेयर को वर्त्तमान में कार्य की वास्तविक स्थिति के अनुरूप बनाने के लिए क्या–क्या कार्रवाई की जानी है और इसमें क्या सुधार किया जाना है, इस सम्बन्ध में सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप के स्तर से समीक्षा कर परिवर्त्तन किए जाने वाले प्रविष्टियों के संबंध में एक सप्ताह के अन्दर I.T Cell के प्रोग्रामर, श्री अभितोष कुमार एवं मो0 अली, उच्चवर्गीय लिपिक से प्रस्ताव प्राप्त कर लिया जाए एवं तद्नुसार संशोधन प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए।

5. **GCN सॉफ्टवेयरः**– समीक्षा के क्रम में पाया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा GCN सॉफ्टवेयर में ग्रामों के त्रिसीमाना पर अवस्थित Tertiary Control Point का कॉडिनेट संधारित नहीं किया जा रहा है। हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा बताया गया कि पूर्व में दिये गये निदेश के अनुपालन में किसी भी ग्राम के दो स्थायी संरचानाओं के कॉडिनेट को GCN सॉफ्टवेयर में संधारित किया जाना है। GCN सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियों के सम्बन्ध में N.I.C द्वारा बनाये गये मार्गदर्शन अथवा यूजर मैनुअल स्पष्ट नहीं है, जिस कारण सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि करने में कठिनाई होती है।

निदेशित किया गया कि GCN सॉफ्टवेयर में प्रत्येक ग्राम एक स्थायी संरचना एवं एक त्रिसीमाना बिन्दु का कॉडिनेट संधारित करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में उपस्थित श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, स0ब0प0 को निदेशित किया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एवं I.T Cell के साथ समन्वय स्थापित करते हुए GCN सॉफ्टवेयर में आनेवाली सभी समस्याओं के समाधान एक सप्ताह के अंदर में कर लिया जाए।

6. अन्यान्यः– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपरोक्त सभी सॉफ्टवेयर के परिचालन संबंधी समस्या आदि की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि इस संबंध में नियमित समीक्षा की जानी आवश्यक है। बैठक में उपस्थित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि जिलों से संबंधित एजेंसियों को भुगतान किये जाने वाले प्रतिवेदन बहुत विलंब से निदेशालय स्तर पर प्राप्त होने के कारण भुगतान में अनावश्यक विलंब होता है।

निदेशित किया गया कि सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्याओं आदि के संबंध में सहायक निदेशक, श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जाए एवं विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के क्षेत्रीय कार्यों की प्रगति से संबंधित साप्ताहिक समीक्षा सहायक निदेशक, श्री विनोद कुमार पंकज द्वारा की जाए। एजेंसियों के भुगतान से संबंधित प्रतिवेदनों को ससमय उपलब्ध कराने के लिए बन्दोबस्त कार्यालयों को निदेशित किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 03 / भू0अ0नि0 (4)–विशेष सर्वे–15 / 2022 4661 पटना, दिनांकः 20/12/2022

प्रतिलिपिः– उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना / श्री अनिल कुमार सिंह एवं श्री विनोद कुमार पंकज, सहायक निदेशक / प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप / प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा / श्री शैलेश कुमार श्रीवास्त, स0ब0प0 / निदेशालय स्तर के सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, आई0टी0सेल / श्री अंजनी कुमार मिश्रा, टीम लीड, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03 / भू0अ0नि0 (4)–विशेष सर्वे–15 / 2022 4661 पटना, दिनांकः 20/12/2022

प्रतिलिपि :– जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03 / भू0अ0नि0 (4)–विशेष सर्वे–15 / 2022....4661....पटना, दिनांकः 20/12/2022

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/12/22

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03 / भू0अ0नि0 (4)–विशेष सर्वे–15 / 2022....4661....पटना, दिनांकः 20/12/2022

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

20/12/22